ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, मधुपुर।

आर0 एम0 वाद सं0–71/2020–21

आदेश की क्रम सं0 एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई तारीख सहित
1	2	3
24.06.24	**आदेश** प्रस्तुत आर0 एम0 वाद सं0–71/2020–21 (लाखो महतो एवं अन्य –बनाम–जलेश्वर महतो एवं अन्य) आवेदक–लाखो महतो, पिता–स्व० डहरू महतो, साकिन–भोक्ता छोराट, अंचल–मधुपुर, जिला–देवघर के द्वारा मौजा–भोक्ता छोराट, थाना नम्बर–206, दाग नम्बर–"A" किस्म–राखा जंगल जमीन से विपक्षी–जलेश्वर महतो, पिता–स्व0 तिलक महतो, एवं किस्टु महतो, पिता–स्व0 गुजर महतो को उच्छेद करने हेतु दाखिल आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया है। आवेदक–लाखो महतो की मृत्यु हो जाने के कारण दाखिल प्रतिस्थापन आवेदन के आलोक में बलदेव महतो का नाम अंकित किया गया। 2. प्राप्त आवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत कर कारण–पृच्छा की मांग करते हुए अंचल अधिकारी, मधुपुर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, मधुपुर के पत्रांक–206/रा0, दिनांक–27.03.2021 एवं पत्रांक–303/रा0, दिनांक–08.04.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त, जो अभिलेखबद्ध है। 3. अंचल अधिकारी, मधुपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–भोक्ता छोराट, थाना नम्बर–206, गैर मजरूवा खाता नम्बर–13, दाग नम्बर–94, रकवा–12.56 एकड़, किस्म–झांटी जंगल कहकर सर्वे खतियान में दर्ज है। अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर के एस0 सी0 वाद सं0–13/1969–70 में द्वारा विपक्षी–जलेश्वर महतो, पिता–स्व0 तिलक महतो को उक्त भूमि के अंश रकवा–4.15 एकड़ एवं किस्टु महतो, पिता–स्व0 गुजर महतो को 4.15 एकड भूमि बन्दोवस्त किया गया है। 4. उभय पक्षों को सुना एवं प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त भूमि अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर के एस0 सी0 वाद सं0–13/1969–70 में द्वारा विपक्षी–जलेश्वर महतो, पिता–स्व0 तिलक महतो को 4.15 एकड़ एवं किस्टु महतो, पिता–स्व0 गुजर महतो को 4.15 एकड भूमि बन्दोवस्त किया गया है। ऐसी स्थिति में उच्छेदी संबंधी कार्रवाई करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। **लेखापित एवं शुद्धित** 24/06/24 अनुमण्डल पदाधिकारी मधुपुर। 24/06/24 अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर।	

Digitally signed by AASHISH AGARWAL
Date: 2024.08.22 14:46:07 +05:30
Location: 192.168.29.15